

|               |                                   |                             |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज | पक्ष<br>अपक्ष<br>हुकम<br>से |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|

28-7-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-8-20 पत्रावली पेश हुई, अभिमापकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो।

25-8-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 5-9-20 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15-9-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 29-9-20 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-9-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 20-10-20 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-10-20 पत्रावली पेश हुई, अभिमापकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 22-10-20 को पेश हो।

27-10-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 10-11-20 को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10-11-20 उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 24-11-20 को पेश हो।  
रीडर

24-11-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीया उपस्थित अप्रार्थी ए. 3, 5 के सम्मन बाद तामिल टैकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। अप्रार्थी




गारीय  
गो इ  
तामी  
हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशपल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

सं. 1, 2, 4 के सम्मन तामिल हेतु वकील प्रार्थिया  
के फिनोक 28.10.20 को अदिल रिजि-एडी से भेजे  
गये। जिले करीब एक माह बीत जाने से कोई अप्रार्थी  
उपस्थित नहीं हुए। परवार हल्का चुकाला हारा  
पूर्व में माँका डिपॉट प्राप्त हुई जिसे शामिल  
किया गया। अप्रार्थीगण का कितनी मर्तबा  
आवाजे फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित  
नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये  
जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थिया  
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय  
पत्रक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया  
जाया।  
पत्रावली फौसल शुमार होकर मम्बर से कम  
हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा